रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 1977/अग्रहायण 21, 1899

No. 243] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 1977/AGRAHAYANA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Mantrimandal Sachivalaya)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th December, 1977

No. 14/1/2/77-CF.—The Government accords the highest priority to rural development, so as to increase agricultural production, create employment, eradicate poverty and bring about an all round improvement in the rural economy. The Government considers that the maximum degree of decentralisation, both in planning and in implementation is necessary for the attainment of these objectives. It has accordingly been decided, in consultation with the State Governments and Union Territories, to set up a Committee to inquire into the working of the Panchayati Raj Institutions, and to suggest measures to strengthen them, so as to enable a decentralised system of planning and development to be effective.

2. The composition of Committee is:

Chairman

1. Shri Asoka Mehta

Members

2. Shri Karpoori Thakur, Chief Minister, Bihar.
3. Shri Prakash Singh Badal, Chief Minister, Punjab
4. Shri M. G. Ramachandran, Chief Minister, Tamil Nadu
5. Shri B Sivaraman, Member, Planning Commission.
6. Shri Mangal Deo, M.P.
7. Shri Kunwar Mahmood Ali Khan, M.P.
8. Shri Annasaheb P Shinde, M.P
9. Shri E. M. S Namboodripad Trivandrum
10. Shri S K Dey, New Delhi
11. Shri Sidharaj Dhadda, Jaipur.
12. Prof. Iqbal Narain, University of Rajasthan, Jaipur.
13. Shri Vallabhbhai Patel, President, Zila Panchayat, Rajkot.

3 The Committee would have the following terms of reference:

(1) To review the existing situation regarding democratic decentralisation in the States and the Union Territories, and the working of the Panchayati Raj institutions from the district to the village levels, so as to identify shortcomings and defects In particular, to examine the working of these institutions in respect of—

(a) mobilisation of resources

(b) planning and implementation of schemes for rural development in an objective and optimal manner, and in looking after the interests of the weaker sections of society.

(2) To examine the methods of constituting the Panchayati Raj institutions, including the system of elections, and to assess their effect on the performance of the Panchayati Raj system.

(3) To suggest the role of Panchayati Raj institutions, and the objectives which could be attained through them, for integrated rural development in the future.

(4) To suggest measures for reorganising the Panchayati Raj system, and removing the shortcomings and defects with a view to enable these institutions to fulfil their future role

(5) To recommend the form and content of the relationship that should exist between the Panchayati Raj institutions, the official administrative machinery, and the cooperative and voluntary institutions involved in rural development.

(6) To make such other recommendations, including those on financial matters, as may be necessary to ensure adequate availability of funds for the discharge of the responsibilities that may be entrusted to the Panchayati Raj Institutions

4 The Committee should complete its inquiry and submit its report within a period of six months and may also submit an interim report, if it deems it necessary, or if so required by Government

5 Secretarial and other assistance to the Committee would be provided by the Department of Rural Development in the Ministry of Agriculture and Irrigation.

R. C. BHARGAVA, Jt Secy.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all ministries/departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R C BHARGAVA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

असाधारण

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977

सं० 14/1/2/77—सी० एफ—कृषि उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर जुटाने, गरीबी को हटाने तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । सरकार का विचार है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना क्षेत्रों, आयोजन तथा उस के कार्यान्वयन, में सर्वाधिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है । तदनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मशविरा करके, पंचायती राज संस्थाओं

कार्य-प्रणाली की जाच करने तथा उनको सुदृढ बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि आयोजन और विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके।

2 समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :—

1. श्री अशोक मेहता अध्यक्ष
2. श्री कर्पूरी ठाकुर, मुख्य मंत्री, बिहार
3 श्री प्रकाश सिह बादल, मुख्य मत्री, पंजाब
4. श्री एम० जी० रामचन्द्रन्, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु
5. श्री बी० शिवरामन्, सदस्य, योजना आयोग
6. श्री मगलदेव, संसद् सदस्य
7. श्री कंवर महमूद अली खा, संसद् सदस्य
8 श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे, ससद् सदस्य
9 श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद, त्रिवेन्द्रम
10 श्री एस० के० डे०, नई दिल्ली
11 श्री सिद्धराज ढड्ढा, जयपुर
12. प्रो० इकबाल नारायण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
13. श्री बल्लभभाई पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजकोट ।

3 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होगे :—

(1) राज्यो तथा सघ राज्य क्षेत्रो मे लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध मे वर्तमान स्थिति और जिला से गाव स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण ताकि कमियो तथा त्रुटियों का पता लगाया जा सके। विशेषकर, निम्नलिखित के संदर्भ मे इन संस्थाओ की कार्यप्रणाली की जांच करना :—

(क) संसाधन जुटाना ।

(ख) ग्रामीण विकास की स्कीमो का यथार्थ तथा आशावादी ढंग से और समाज के कमजोर वर्गों के हितो को ध्यान मे रखते हुए आयोजन और कार्यान्वयन ।

(2) चुनाव प्रणाली सहित, पंचायती राज संस्थाओ की गठन पद्धति की जांच करना तथा पंचायती राज प्रणाली के कार्य-निष्पादन पर उन के प्रभावो का मूल्याकन ।

(3) भविष्य मे समेकित ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओ की भूमिका तथा उन के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यो सबधी सुझाव देना ।

(4) पंचायती राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने मे समर्थ बनाने के उद्देश्य से उन के पुनर्गठन एव कमियो और त्रुटियो को पूरा करने के उपाय सुझाना।

(5) पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन-तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न सहकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच बने रहने वाले संबंधों के रूप तथा प्रकार संबंधी सिफारिशें देना ।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक, वित्त संबंधी मामलों सहित, अन्य सिफारिशें देना ।

4 समिति को छ महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी कर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए तथा यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझें अथवा सरकार उन से ऐसी अपेक्षा करे, तो समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है ।

5. समिति को सचिवालय संबंधी तथा अन्य सहायता कृषि और सिंचाई मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जायगी ।

आर० सी० भार्गव,

संयुक्त सचिव ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० सी० भार्गव,

संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977